भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 921

दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: संकर किस्मों की एकल फसल

921. श्री अरूण साव:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे:

श्री विजय बघेल:

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संकर किस्मों की एकल फसल के कारण अधिकांश किसान गेहूं और चावल की किस्मों के अपने विरासत में मिले बीजों को खो चुके हैं, जो कभी उनके सामुदायिक पूर्वजों के पास परम्परागत रूप से स्वामित्व में थे;

(ख): यदि हां, तो विशेषकर छत्तीसगढ़ के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग): सरकार द्वारा गेहूं और चावल की ऐसी विरासत वाली किस्मों की पहचान और संरक्षण के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनमें देशभर में अद्वितीय पोषण औषधीय और पारिस्थितिकीय गुण और पर्यावरण-सह गुण होते हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी नहीं। यह सच नहीं है कि किसानों ने संकर (हाइब्रिड) की मोनो-क्रॉपिंग के कारण गेहूं और चावल की उन किस्मों के विरासत बीजों को खो दिया है जो एक बार उनके समुदाय के पूर्वजों के स्वामित्व में थे। परंपरागत किस्मों में कम उपज क्षमता, पौधों की लंबी ऊंचाई और देर से पकने की अवधि होती है, जो किसानों को बड़े क्षेत्रों में उनकी खेती के लिए प्रतिबंधित करती है, हालांकि गेहूं और चावल का अधिकतम क्षेत्र पैरेन्ट्स के रूप में परंपरागत किस्मों का उपयोग करके विकसित उन्नत किस्मों के अधीन है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक में परंपरागत किस्मों सहित विभिन्न फसलों की किस्मों का संरक्षण किया गया है। गेहूं और चावल के मामले में छत्तीसगढ़ से परंपरागत किस्मों के विभिन्न संग्रह क्रमशः 9 और 11,475 है।

आईसीएआर-एनबीपीजीआर ने लंबी अवधि के भंडारण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक में विभिन्न फसलों की 95,602 परंपरागत किस्मों/कृषक किस्मों/भूमि प्रजातियों का संरक्षण किया है जिनमें से 13,670 प्रविष्टियां परंपरागत किस्मों की हैं।

(ग): सरकार ने परंपरागत किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित चावल की परंपरागत किस्मों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। असम (295), छत्तीसगढ़ (67), उत्तराखंड (63) और हिमाचल प्रदेश (12) से चावल की भू-प्रजातियों की 437 प्रविष्टियों की महत्वपूर्ण पोषण संबंधी विशेषताओं के लिए पोषण संबंधी प्रोफाइल तैयार की गई।
राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के अलावा, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), किसान आदि भी पोषण, औषधीय गुणों, पारिस्थितिक विशेषताओं और जलवायु अनुकूलन वाली अद्वितीय भू-प्रजातियों/परंपरागत किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पौध किस्म का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीवीएंडएफआरए), प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड (पांच कृषक समुदायों में से प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 10 लाख रुपये नकद), प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड (दस अलग-अलग किसानों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 1.50 लाख रुपये नकद) और प्लांट जीनोम सेवियर फॉर्मर रिकग्निशन (20 अलग-अलग किसानों को रिकग्निशन जिसमें 1.00 लाख रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह शामिल हैं) प्रदान करता है। उन किसानों/कृषक समुदायों के लिए वार्षिक आधार पर जिन्होंने चयन और संरक्षण आदि के माध्यम से भू-प्रजातियों और आर्थिक पौधों के वनीय पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है और उनका सुधार किया है।

*****